न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :— 100/2016

शीर्षक

1. भैरू पुत्र रामबक्स जाट, नि0 कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर । (फौत)
   1/1 घीसी देवी पत्नी भैरू
   1/2 रूड़मल पुत्र भैरू
   1/3 चम्पा देवी पत्नी बाबूलाल
   1/4 पवन पुत्र बाबूलाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता चम्पा देवी।
   1/5 सीता पुत्री बाबूलाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता चम्पा देवी।
   1/6 मुकेश पुत्र भैरू
   1/7 भगौती पुत्री भैरू
   1/8 रामेश्वरी पुत्री भैरू
   1/9 हंसा पुत्री भैरू ना.बा. जरिये संरक्षक माता घीसी देवी
   समस्त जाति जाट, नि0 कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1. बंशीधर पुत्र हरसहाय
2. हरदेव पुत्र हरसहाय
3. खेमाराम पुत्र हरसहाय
4. दुलाराम पुत्र हरसहाय
5. भगवान सहाय पुत्र हरसहाय
6. मन्नाराम पुत्र हरसहाय
7. दाखली पत्नी हरसहाय
   समस्त व्यस्क, जाति जाट, कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)
9. गालीराम पुत्र हनुमान
10. मदनलाल पुत्र हनुमान
11. सीताराम पुत्र हनुमान
12. झुथी देवी पत्नी हनुमान
13. बिमला पुत्री हनुमान
    समस्त व्यस्क, जाति जाट, कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा— 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.07.2019

दावा संक्षेप में इस प्रकार पेश है कि साबिक आ.ख.नं. 25 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 27 रकबा 1 बीघा, 32 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, 35 रकबा 8 बिघा 14 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 16/1.15, 19/1.10, 20/1.03, 33/0.22, 36/0.49 कुल किता 5 रकबा 3.99 है0 बने है वाकै ग्राम तेजपुरा तह0 शाहपुरा में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 के हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है।

साबिक ख.नं. 60 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 65 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 75 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 77 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 79 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम मारखी जिसके हाल खसरा नं. 17/0.59, 18/1.02, 183/0.65, 185/0.31, 186/0.11, 188/0.13 कुल किता 6 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज खातेदारी में है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

साबिक ख.नं. 199 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 125 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 128 रकबा 11 बिस्वा 129 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 146 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मारखी जिसके हाल खसरा नं. 247/0.30, 248/0.15, 258/0.27, 259/0.52, 272/0.44, 288/0.21, 289/0.10, 324/0.67, 325/0.60 व हाल आ.ख.नं. 244/0.23 है0 साबिक खसरा नं. 146 से बना है लेकिन मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं. 146 मीन के स्थान पर 246 मीन लिखा हुआ है इस प्रकार कुल किता 10 रकबा 3.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी में है।

साबिक ख.नं. 82 रकबा 11 बिस्वा ग्राम मारखी जिनके हाल खसरा नम्बर 189 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है।

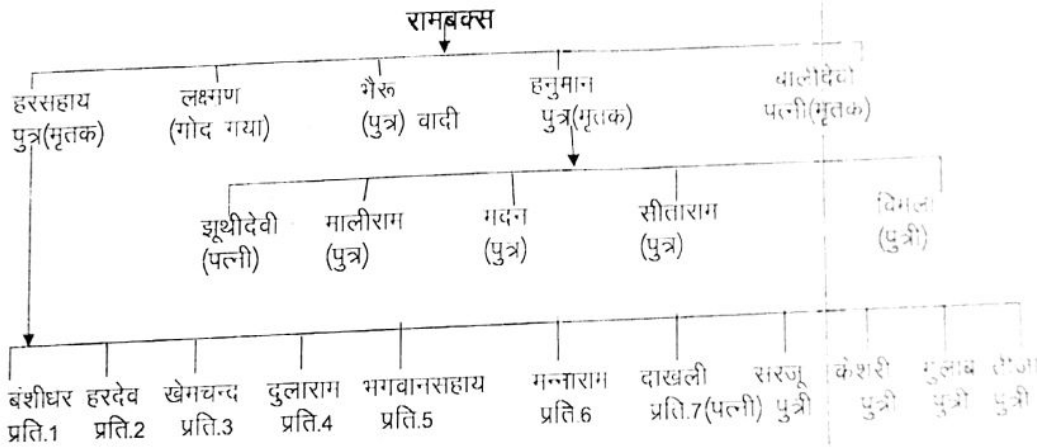

वादी, प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण 9 लगा0 13 का सजरा खानदान निम्नानुसार है –

इस प्रकार रामबक्स के 4 जायन्दा पुत्र हुए जिनमें लक्ष्मण बाल्यकाल से ही ग्राम मुरलीपुरा में अन्य गोद चला गया था इस प्रकार वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड में रामबक्स की विरासत से दर्ज खातेदारी को 4 शकार मुकदमें बनाकर पेश किया गया है ।

उपरोक्त साबिक आराजी भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व वादी, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 0 तरतीबी प्रतिवादी सं. 9 लगा0 13 के बुजुर्ग रामबक्स के नाम रही है। रामबक्स की मृत्यु साबिक सेटलमेन्ट से पूर्व हो जाने के कारण प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के पिता एवं पति हरसहाय जो अपने परिवार में सबसे बड़ा था तथा मुखिया व कर्ताखानदान होने के कारण व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 9 लगा0 13 का पिता व पति नाबालिग होने के कारण हरसहाय ने साबिक सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत करके सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम करवा लिया जबकि वाद पत्र में उल्लेखित उक्त आराजी पर वादी, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 व व तरतीबी प्रतिवादी सं0 9 लगा0 13 अपने अपने हिस्से 1/3 की आराजी पर काबिज रहे है तथा वर्तमान में बिना किसी बाधा के काबिज हैं। वाद पत्र के जिमन नम्बर 2 लगा. 9 में वर्णित आराजी पर वादी, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 व वं तरतीबी प्रतिवादी सं0 9 लगा0 13 अपने बुजुर्गो के समय से ही बिना किसी बाधा के अपने अपने हिस्से 1/3 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

वादी के द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 के पिता को उनके जीवनकाल में उक्त आराजी काश्त व अपने हिस्से 1/3 के अनुसार नाम करवाने की कहा तो हरसहाय ने यह विश्वास दिलाया कि 1/3 हिस्से अनुसार तुम्हारे नाम करवा दूंगा परन्तु हरसहाय की फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 जो कि हरसहाय के पुत्र व पत्नी है के मन में नाम आराजी होने के कारण बदनियति आ गयी है एवं विवादित आराजी को नाम नहीं करवाने से यह वाद पत्र पेश किया गया है।

...क कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर दिया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 16.02.2015 एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 11.06.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सीपीसी0 पेश किया जिसे दिनांक 11.07.2019 को विधिवत सुनवाई कर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सीपीसी0 को खारिज किया गया। वकील वादी द्वारा दि0 17.07.2019 को रूडमल पुत्र भैरू जाट नि. कल्याणपुरा, नहरूलाल पुत्र हिरासम जाट नि. रानीपुरा, फूलचन्द पुत्र चौथमल जाट नि. कल्याणपुरा ने शपथ पत्र वादी के समर्थन में पेश कराये गये जिन्होंने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अपने अपने शपथ पत्र में अंकित करते हुए जाहिर किया कि रामबक्स के 04 लडके क्रमशः हरसहाय, लक्ष्मण, भैरू, हनुमान हुए जिनमें से लक्ष्मण ग्राम पंचायत मुरलीपुरा में बचपन में ही गोद चला गया था। भैरू बंशीधर वगैरह व मालीराम वगैरह के सम्पूर्ण भूमि पर पुरानी पैमाइश से पहले रामबक्स का कब्जा था और वही काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता था तथा विवादित आराजी को रामबक्स के समय बताये हुए पुरानी पैमाइश के समय हरसहाय जो कि बंशीधर का पिता था रामबक्स के कुटुम्ब में सबसे बड़ा समझदार व कर्ता खानदान था व रामबक्स का पुत्र भैरू व हनुमान नाबालिग थे इस कारण से हरसहाय ने रामबक्स की सम्पूर्ण पुरानी पैमाईश के आधार पर कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली। जबकि रामबक्स की विवादित आराजी में रामबक्स के पुत्र भैरू वादी का 1/3 तथा रामबक्स के पुत्र हनुमान का 1/3 हिस्सा जिस पर पहले भैरू व हनुमान तथा उनके फौत होने पर उनके वारिसान धीसी वगैरह व मालीराम वगैरह काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। साक्ष्यवादीयों ने अपने शपथ पत्र में यह भी जाहिर किया है कि विवादित आराजी में वादी भैरू व उसके वारिसान ने खाम गवाडी बना रखी थी जिस पर करीब 9 वर्ष पूर्व पुख्ता मकान तथा पूर्व कच्चा बाडा जिस पर 5 वर्ष पूर्व पुख्ता बाडा निर्माण कर लिया। तथा 2 वर्ष पूर्व एक बोरिंग भी निर्माण धासी वगैरह ने करवाया है। जिससे सिंचाई अपने हिस्से की भूमि पर करते आ रहे है पुख्ता मकान में निवास कर रहे है, तथा बाडे में पशुधन व अपने कृषि यंत्र शुरू से ही रखते आ रहे है।

वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में उक्त साक्ष्यवादी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र साबिक रिकार्ड तथा वर्तमान रिकार्ड व दावे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आर्कषित करवाते हुए प्रतिवादी के पिता हरसहाय परिवार में कर्ता धर्ता होने व भूप्रबन्धक विभाग सांठगांठ करने व उनके बुजुर्ग रामबक्स की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम अकेले करवाने आदि की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए वादी के पक्ष में दावा डिक्री किए जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादीके प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों पर गौर करने पर पाया गया कि विवादित आराजी वाद पत्र में अंकित साबिक खसरा नम्बर 25, 27, 32, 35 कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2008 लगा0 2027 में सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 60, 65, 75, 77, 79, 82 व जमाबन्दी सम्वत 2008 में वादी प्रतिवादीगण के पूर्वज रामबक्स के नाम रही है। और खसरा नम्बर 119, 125, 128, 129, 146 जमाबन्दी सम्वत 2008 में हरसहाय पुत्र रामबक्स के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में रही है। वादी व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान अनुसार इनके बुजुर्ग रामबक्स के 04 जायन्दा सन्तान थी तथा लक्ष्मण बाल्यकाल अवस्था में ही अन्यत्र गोद चला जाने से वादी प्रतिवादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता क्रमशः भैरू हनुमान हरसहाय ही उनके विधिक वारिसान होना साबित होता है तथा तीनों के 1/3 – 1/3 हिस्सा रामबक्स की सम्पति में हकदार है।

प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात से भी स्पष्ट होता है कि वादी तरतीबी प्रतिवादीगण मौके पर वर्तमान में भी कब्जा काश्त मकानात बाड़ा बनाकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा बोरिंग निर्माण अपने अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई कर रहे है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित साबिक आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर से बने है वह प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । तथा मिलान क्षेत्रफल से हाल कायम विवादित आराजी के खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर से बने है। तथा साबिक खसरा नम्बर वादी ,प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वज रामबक्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही थी। साबिक खसरा नम्बर 199 के संबंध में वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि खसरा नम्बर 199 के स्थान 119 तथा वाद पत्र के बिन्दू संख्या 7 में ग्राम हनुतिया के स्थान पर कल्याणपुरा होना चाहिए था जो लिपिकीय भूल से हुआ है जिसे संशोधन किया जाये। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी लिपिकीय भूल होना प्रकट होता है। मौके पर विवादित आराजी में साबिक खसरा नं. 199 के स्थान ख.नं. 119 तथा वाद पत्र के बिन्दू संख्या 7 में ग्राम हनुतिया के स्थान पर कल्याणपुरा का अंकन करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह स्वीकार किया जाकर लाल स्याही से अंकन किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवरण तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल ख.नं. 244/0.23, 247/0.30, 248/0.15, 258/0.27, 259/0.52, 272/0.44, 288/0.21, 289/0.10, 324/0.67, 325/0.60 कुल किता 10 रकबा 3.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा मे प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के हिस्से 1/2 को हजब कर वादी सं. 1/1 से 1/9 का हिस्सा 1/6 तरतीबी प्रतिवादी सं. 9 लगा0 13 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार तथा ख.नं. 16/1.15, 19/1.10, 20/1.03, 33/0.22, 36/0.49 कुल किता 5 रकबा 3.99 है0 वाकै ग्राम तेजपुरा प.ह. हनुतिया तह0 शाहपुरा में प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/2 को हजब कर वादी सं. 1/1 से 1/9 का हिस्सा 1/6 तरतीबी प्रतिवादी सं. 9 लगा0 13 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/6 तथा ख.नं. 189 रकबा 0.28 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा मे प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के हिस्से 1/6 को हजब कर वादी सं. 1/1 से 1/9 का हिस्सा 1/18, तरतीबी प्रतिवादी सं. 9 लगा0 13 का हिस्सा 1/18 व प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/18 तथा ख.नं0 17, 18, 183, 185, 186, 188 कुल किता 6 रकबा 2.81 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा में प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 के हिस्से 1/3 को हजब कर वादी सं. 1/1 से 1/9 का हिस्सा 1/9, तरतीबी प्रतिवादी सं. 9 लगा0 13 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी सं. 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को उनके हिस्से में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने में किसी प्रकार की दखलादांजी पैदा नही करे तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू लिखा जावे पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
एवं फास्ट ट्रेक
शाहपुरा जिला जयपुर राज.

नोट - आदेश दिनांक 2/8/19 के द्वारा ख.नं. 17, 18, 183, 185, 186, 188 कुल किता 6 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के हिस्से 1/6 को हजब कर वादी सं0 1/1 से 1/9 का हिस्सा 1/18, तरतीबी प्रतिवादी सं0 9 लगा0 13 का हिस्सा 1/18 व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 का हिस्सा 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित पढ़ा जावे)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner